No. 3(14)/2006/D(Cer)
Government of India
Ministry of Defence

New Delhi, the 16th November, 2006

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Procedure for the issue of duplicate Sanad in case of loss/damage of original Sanads.**

The undersigned is directed to say that the question as to the procedure to be followed for issue of duplicate Sanad, when lost or damaged, has been considered and it has been decided that the following procedure should be followed for the purpose:

(i) When the applicant is a service officer or an ex-serviceman, the application for issue of duplicate Sanads should be made to the concerned Service Headquarter.

(ii) In the case of an applicant other than a service officer or an ex-serviceman, the application for issue of duplicate Sanad should be made to the Ministry of Home Affairs (MHA) through the State Govt/UT administration within whose jurisdiction, he/she is a resident.

(iii) The application for issue of duplicate Sanad should contain particulars of the decoration, the date on which it was awarded and a detailed statement of the circumstances leading to its loss/damage. The applicant should further give a written declaration that he/she is entitled to the Sanad in question.

(iv) The authority (Service Headquarter or MHA as the case may be) to whom the application is made will verify the claim from the Gazette Notification and also enquire into circumstances of the loss/damage.

(v) If the authority, after making the necessary inquiry, is satisfied that the case for issue of duplicate Sanad should be recommended to the Ministry of Defence, the cost of the Sanad will be recovered from the applicant and credited to the Government of India under the Head "CDA(CC), Meerut". The cost (to be recovered) of the Sanads is indicated below:-

	Name of the Award	Cost of Sanad (Rs.)
1.	Param Vir Chakra	500.00
2.	Ashoka Chakra	500.00

Contd. 2/-

	Name of the Award	Cost of Sanad (Rs.)
3.	Sarvottam Yudh Seva Medal	500.00
4.	Uttam Yudh Seva Medal	500.00
5.	Yudh Seva Medal	500.00
6.	Param Vishisht Seva Medal	500.00
7.	Ati Vishisht Seva Medal	500.00
8.	Vishisht Seva Medal	500.00

(vi) The application will thereafter be forwarded to the Government of India in the Ministry of Defence, D(Medals) Section, West Block-VIII, R.K. Puram, New Delhi, together with the forwarding authority's recommendation and full details of the result of their investigations/enquiry.

(vii) The duplicate copy of Sanad will be issued in the same form as the original, and will only be authenticated by the Secretary to the President, and not signed by the President himself.

(viii) A duplicate of Sanad may, under special circumstances such as loss/damage due to enemy action or natural calamity, be issued by the Government of India without recovery of cost from the recipient.

Jatinderbir Singh
(JATINDERBIR SINGH)
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

COAS	**Secretary to the President**
CNS	**Secretary, Ministry of Home Affairs**
CAS	**Secretary, BRDB**

Copy to :-

JS(O/N)
DMR&F/D(Medals)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **मूल सनद के खो जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में डुप्लीकेट सनद जारी करने संबंधी प्रक्रिया ।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल सनद के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में डुप्लीकेट सनद जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी मुद्दे पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए :-

(i) यदि आवेदक, सेवारत अफसर अथवा भूतपूर्व सैनिक हो तो डुप्लीकेट सनद जारी करने के लिए आवेदन, संबंधित सेना मुख्यालय को प्रस्तुत करना चाहिए।

(ii) यदि आवेदक सेवारत अफसर अथवा भूतपूर्व सैनिक से अन्यथा हो तो ऐसी अवस्था में डुप्लीकेट सनद जारी करने के लिए आवेदन उस राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, जिसके क्षेत्राधिकार का वह निवासी है, के माध्यम से गृह मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए ।

(iii) डुप्लीकेट सनद जारी करने संबंधी आवेदन में अलंकरण का ब्यौरा, इसे प्रदान करने की तारीख तथा इसके खो जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने संबंधी परिस्थितियों के विस्तृत विवरण का उल्लेख होना चाहिए । इसके अलावा, आवेदक को एक लिखित घोषणा-पत्र देना चाहिए कि वह उक्त सनद प्राप्त करने का हकदार है।

(iv) जिस प्राधिकारी (सेना मुख्यालय अथवा गृह मंत्रालय जैसा भी मामला हो) को आवेदन दिया गया है, वह राजपत्रित अधिसूचना से दावे की जांच करेगा तथा खो जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने संबंधी परिस्थितियों की भी जांच करेगा ।

(v) यदि प्राधिकारी, आवश्यक जांच करने के बाद, इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि डुप्लीकेट सनद जारी करने संबंधी मामले को रक्षा मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए, तो सनद की लागत आवेदक से वसूल की जाएगी तथा यह राशि शीर्ष ''सीडीए(सीसी), मेरठ'' के अधीन भारत सरकार के नामे डाली जाएगी । सनद की लागत (वसूल की जाने वाली) का उल्लेख नीचे किया गया है :-

	पुरस्कार का नाम	सनद की लागत (रुपए)
1.	परम वीर चक्र	500.00
2.	अशोक चक्र	500.00

	पुरस्कार का नाम	सनद की लागत (रुपए)
3.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	500.00
4.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	500.00
5.	युद्ध सेवा मेडल	500.00
6.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	500.00
7.	अति विशिष्ट सेवा मेडल	500.00
8.	विशिष्ट सेवा मेडल	500.00

(vi) इसके बाद, आवेदन को प्रेषक प्राधिकारी की सिफारिश तथा उनकी जॉच/पूछताछ के परिणाम के पूर्ण ब्यौरे के साथ भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा (मेडल) अनुभाग, वेस्ट ब्लॉक-IIII आर.के.पुरम, नई दिल्ली को अग्रेषित किया जाएगा ।

(vii) सनद की डुप्लीकेट प्रति, मूल प्रति के समान ही जारी की जाएगी तथा इसे केवल राष्ट्रपति के सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा तथा राष्ट्रपति इस पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं करेंगे ।

(viii) सनद की डुप्लीकेट प्रति, शत्रु कार्रवाई अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण खो जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने जैसी विशेष परिस्थितियों के अधीन, प्राप्तकर्ता से लागत की वसूली किए बिना सरकार द्वारा जारी की जा सकती है ।

जतिन्दरबीर सिंह
(जतिन्दरबीर सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सीओएएस	**राष्ट्रपति के सचिव**
सीएनएस	**सचिव, गृह मंत्रालय**
सीएएस	**सचिव, बीआरडीबी**

प्रतिलिपिः-

संयुक्त सचिव (ओ/एन)
डी एम आर एंड एफ/रक्षा (मेडल)